पीपुल्स समाचार www.peoplessamachar.in
अपना इंदौर
इंदौर, बुधवार 04 दिसंबर, 2024 07

खजराना पुलिस की कार्रवाई : की जा रही सख्ती से पूछताछ

ड्रग्स खरीदने ग्राहक बनी पुलिस... तीन को दबोचा

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9926064287

एमडी ड्रग्स खरीदने के लिए खजराना थाने की पुलिस ग्राहक बनी। जैसे ही तस्करों ने मादक पदार्थ सप्लाय किया, उन्हें दबोच लिया। जोन-2 में ड्रग्स बेचने-खरीदने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। खजराना क्षेत्र में ड्रग्स सप्लाय की जानकारी सहायक पुलिस आयुक्त कुंदन मंडलोई को लगी थी। सूचना पुख्ता होते ही थाना प्रभारी मनोजसिंह सेंधव को टीम गठित कर तस्करों को पकड़ने के निर्देश दिए।

सर्विस रोड पर बैठे थे बदमाशः टीम को मुखबिर ने बताया कि तीन बदमाश शाहिद पेट्रोल पंप के पीछे सर्विस रोड पर बैठे हैं। यहां से लक्की पिता बजरंग सुमन निवासी रामद्वारा की गली मंगलपुरा झालावाड़, रेहान उर्फ अली उर्फ बाबर पिता खादिम अली निवासी पुलिस लाइन टांग चाणक्य कोचिंग के सामने झालावाड़ तथा सेजान उर्फ बिट्टू पिता रईस खान निवासी मेला ग्राउंड नयापुरा बावड़ी के पास बारां (राजस्थान) को पकड़ा। आरोपियों से पांच लाख रुपए की 50 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की। पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि वे शहर में ड्रग्स कारोबार फैलाने की नीयत से आए थे। बदमाश कहां से ड्रग्स लेकर आए थे... इस संबंध में पूछताछ की जा रही है।

दो तस्करों से 4 लाख की ब्राउन शुगर जब्त

आजाद नगर पुलिस ऑपरेशन ईगल क्लॉ के तहत तस्करों की धरपकड़ में लगी हुई है। बदमाशों को पकड़ने थाना क्षेत्र में चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान अंतर्गत बिना नंबर की बाइक से जा रहे दो युवकों को रोका। उनकी तलाशी लेने पर चार लाख की ब्राउन शुगर मिली। पकड़े गए आरोपियों के नाम तुषार-वसुनिया निवासी देवगुराड़िया हैं। दोनों नेमावर ब्रिज के नजदीक सर्विस रोड पर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। उनके पास से 41 ग्राम मादक पदार्थ मिला है। बदमाशों ने पूछताछ में बताया कि वे राजस्थान से मादक पदार्थ की पुड़िया बनाकर उसे युवाओं में सप्लाय करते थे। ड्रग्स बेचने से मिलने वाले पैसे अय्याशी और नशे की लत पर खर्च करते थे।

नशा बेचने वाले छह माह जेल में रहेंगे, लगातार कर रहे थे अपराध

इंदौर। मादक पदार्थ की तस्करी में लगातार लिप्त रहने वालों की धरपकड़ में पुलिस जुटी हुई है। परदेशीपुरा पुलिस ने तीन तस्करों को पकड़ा है, जो समझाइश के बाद भी अपराध करने से बाज नहीं आ रहे थे। तीनों को सबक सिखाते हुए छह माह के लिए जेल भेज दिया है। टीआई पंकज द्विवेदी ने बताया कि पुलिस आयुक्त ने नशे के मामलों में संलिप्त रहे आरोपियों पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसी तारतम्य में जोन-2 के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अमरेंद्र सिंह ने अपने मातहतों को ऐसे आपराधिक आचरण के व्यक्तियों जिनकी नशे के मामलों की ख्याति और अपराध रहे हों, उनके विरुद्ध पिट एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण बनाने और उन्हें कोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। इसी तारतम्य में आरोपी दीपक अखंड निवासी परदेशीपुरा, जमनालाल निवासी परदेशीपुरा और पंकज अजमेरा निवासी कुलकर्णी का भट्ठा के प्रकरण तैयार कर कमिश्नर के समक्ष प्रस्तुत किए थे, जहां कमिश्नर कोर्ट ने तीनों आरोपियों को भोपाल जेल भेज दिया।

प्रेमी से बहस के बाद बिल्डिंग से कूदी थी एमबीए की छात्रा

शादी का वादा कर बनाए थे संबंध, डेढ़ माह बाद पुलिस ने दर्ज किया केस

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9926064287

प्रेमी से बहस के बाद एमबीए की छात्रा ने बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी की कोशिश की थी। डेढ़ माह की जांच के बाद पुलिस ने प्रेमी युवक पर दुष्कर्म का केस दर्ज किया है।

घटना 17 अक्टूबर, 2024 को विजयनगर थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने बताया कि गोल्डन गेट के पास युवती ने बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी थी। ग्राउंड फ्लोर पर बनी दुकान के शेड पर गिरने की वजह से उसकी जान बच पाई। वह यहां अपने दोस्त दीपेश जैन से मिलने आई थी। पीड़िता ने बताया कि पढ़ाई के दौरान उसकी दीपेश से पहचान हुई। दीपेश उसका सीनियर है।

बातचीत बढ़ी तो दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगे। एक दिन दीपेश ने शादी का प्रस्ताव रखा। उसने कहा- मैं घर वालों को मना लूंगा। तुम अपने माता-पिता से बात कर लेना। सितंबर में दीपेश ने छात्रा को अंकुर पैलेस में किराए के फ्लैट में बुलाया। यहां संबंध बनाने की जिद की। इनकार करने पर जल्द शादी करने का वादा किया और संबंध बनाए। शादी की बात आने पर वह माता-पिता से बात करने का बोलकर टाल देता।

परिवार से तीन बार ललितपुर में मिलवाया

पीड़िता ने बताया कि दीपेश के कहने पर वह तीन बार उसके पारिवारिक कार्यक्रमों में ललितपुर गई। उसकी फैमिली के लोगों से मिली। 13 अक्टूबर को शिव सागर अपार्टमेंट में दीपेश ने मिलने बुलाया था। 17 अक्टूबर को दोनों में जमकर बहस हुई। पीड़िता अपनी मां को कॉल करने टैरेस पर गई। पीछे से दीपेश आ गया। उसने अपशब्द कहे। दोनों के बीच झूमाझटकी हुई। इसी बीच वह कूद गई, जिससे कमर और अन्य जगहों पर चोट लगी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

...तो मार दिया चाकू

इंदौर। शराब के नशे में धुत्त बेटे ने दाल तीखी बनाने पर मां को चाकू मार दिया। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के आनंद नगर की फरियादी जमुनाबाई पति आत्माराम नायक ने बताया कि वह घर पर ही थी, तभी बेटा राजा घर आया और खाना खाने बैठा और कहने लगा कि दाल तीखी क्यों बनाई है? इसी बात पर बहस हुई थी।

ऑटो ड्राइवर का शव मिला, परिवार के लोगों ने जताई हत्या की आशंका

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9926064287

बिजासन माता मंदिर के पास सोमवार शाम को ऑटो ड्राइवर का शव उसकी गाड़ी में पड़ा मिला। पुलिस ने सूचना के बाद शव को जिला अस्पताल भेजा है। रिश्तेदारों ने हत्या की आशंका व्यक्त की है। परिवार का कहना है कि गांधी नगर में कुछ लोगों से उसका विवाद चल रहा था। इस कारण उन्हें चंदन नगर में किराए से रहना पड़ा।

एरोड्रम पुलिस के मुताबिक... मृतक की पहचान सईद पिता इशहाक निवासी चंदन नगर के रूप में हुई है। सईद सवारी ऑटो चलाता था। परिवार के लोगों ने बताया कि सोमवार सुबह वह सेंट्रल स्कूल में बच्चे छोड़ने गया था। इसके बाद घर नहीं आया। शाम को किसी से सुनसान इलाके में रिक्शा खड़े होने की जानकारी मिली। जब वहां जाकर देखा तो सईद मृत पड़ा था। पुलिस की सूचना मिली तो हड़कंप मच गया। तत्काल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। कैमरों में मृतक के रिक्शा के पास कोई भी संदिग्ध युवक दिखाई नहीं दिया। इसके बाद पुलिस ने शव की जांच की। शव पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं पाए गए। सईद का गांधी नगर में मकान है। बेटी से विवाद को लेकर उन्होंने कुछ लोगों की शिकायत गांधी नगर थाने में तीन महीने पहले की थी।

बेटी से हरकत करने वाले को सजा

नाबालिग को चेहरे पर तेजाब डालने की पिता ने दी थी धमकी

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9926064287

नाबालिग बेटी से हरकत करने वाले दरिंदे पिता को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सुरेखा मिश्रा ने सात साल की सजा सुनाई है। आरोपी ने पीड़िता को चेहरे पर तेजाब डालने की धमकी भी दी थी। मामला पश्चिम क्षेत्र में रहने वाले परिवार का है। 15 दिसम्बर, 2021 को 16 वर्षीय बेटी ने पुलिस को शिकायत की थी कि उसके पिता उस पर और उसकी बड़ी बहन पर बुरी नीयत रखते हैं। वे रात में उनके पास आ जाते हैं और गलत हरकत करते हैं। 14 दिसम्बर को रात 12.30 बजे पिता गलत हरकतें करने लगे। विरोध किया तो उसे चांटा मारा और मुंह दबाकर चुप करने की कोशिश की।

आवाज सुन पास में सो रही बड़ी बहन आई तो उसके कपड़े फाड़ दिए। इस दौरान पिता ने मां के साथ भी मारपीट कर। उन्होंने धमकी दी कि अगर लड़कियां मेरे साथ सोई नहीं तो एसिड डाल दूंगा।

नाबालिग ने बताया कि पिता कई बार उसके साथ ऐसी हरकतें कर चुके हैं। चूंकि मामला गंभीर प्रवृत्ति का था, इसलिए पुलिस ने जांच कर 8 फरवरी, 2022 को कोर्ट में चालान पेश किया था। उधर, कोर्ट में नाबालिग बेटी की जन्मतिथि को लेकर उसके स्कूल टीचर के बयान हुए। टीचर ने स्कूल का स्कॉलर रजिस्टर पेश किया, जिसमें नाबालिग की जन्मतिथि लिखी थी।

पीड़िता के बयान विश्वसनीय माने

कोर्ट ने पीड़िता के बयान को विश्वास करने योग्य और प्रमाणित पाया। पिता को यह भी पता था कि छोटी बेटी नाबालिग है। कोर्ट ने यह भी पाया कि पिता का उनसे कोई विवाद नहीं है। आरोपी पिता ने बदनीयती के कारण ही गंदी हरकतें की हैं। आरोपी उक्त मामले में करीब सवा साल से सेन्ट्रल जेल में बंद है।

मनचले को महिला ने चप्पल से पीटा, 8 दिन से कर रहा था परेशान

इंदौर। आठ दिन से महिला को मनचला युवक परेशान कर रहा था। बजरंग दल कार्यकर्ताओं की मदद से मनचले को पकड़ा। महिला ने उसे चप्पल से पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। थाने में बदमाश से उठक-बैठक भी लगवाई गई। पुलिस के मुताबिक महालक्ष्मी नगर की महिला ने बताया कि वह हाउस कीपिंग का काम करती है। महालक्ष्मी नगर में रजाई-गादी की दुकान पर युवक इरशाद काम करता है। जब मैं वहां से निकलती हूं तो वह अश्लील इशारे करता है। आरोपी ने सोमवार दोपहर युवती को घर जाते समय रास्ते में रोककर उसका हाथ पकड़ा। यहां से युवती अपने घर की तरफ भागी और चाचा को जानकारी दी।

पिट्स एनडीपीएस एक्ट का आरोपी घर पर मिला

मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर भोपाल जेल भेजा

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9926064287

मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के साथ पिट्स एनडीपीएस एक्ट के आरोपी भी पकड़े जा रहे हैं। राजेन्द्र नगर पुलिस ने उक्त एक्ट का उल्लंघन करने वाले युवक को पकड़कर भोपाल जेल भेज दिया। टीआई नीरज बिरथरे ने बताया कि भंवरकुआ पुलिस ने आरोपी बबलू उर्फ छोटू पिता ओंकार कमले निवासी अमर पैलेस राजेंद्रनगर को मादक पदार्थ के साथ पकड़ा था। इस मामले में उसे कोर्ट से जमानत मिल गई थी।

पुलिस आयुक्त को भेजा था प्रकरण : जमानत के बाद आरोपी थाना तेजाजी नगर में तस्करी करते पकड़ा गया था। आरोपी के राजेन्द्र नगर थाना क्षेत्र के होने पर उसके विरुद्ध पिट्स एनडीपीएस एक्ट में उचित कार्रवाई के लिए प्रकरण पुलिस आयुक्त को भेजा गया था। इसमें आयुक्त ने धारा 3(1) के तहत आरोपी को 6 माह के लिए भोपाल जेल भेजने का आदेश पारित किया था। आदेश के पालन में राजेन्द्र नगर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी रही। मुखबिर की सूचना पर उसे घर से पकड़ लिया।

क्या है पिट्स एनडीपीएस एक्ट

लगातार अवैध मादक पदार्थ का व्यापार, व्यवसाय एवं तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने को लेकर की जाने वाली कार्रवाई पिट एनडीपीएस एक्ट कहलाती है।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय वित्त सेवा विभाग, (बैंकिंग प्रभाग)
797-11, शांतिकुंज, साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर 482001 (म.प्र.)
मामला संख्या: आरसी 53/2017 ओ.ए. संख्या 189/2016
कोटक महिंद्रा बैंक
बनाम
जी.के. इंडस्ट्रीज एवं अन्य
ई-नीलामी संख्या 31212024

नीचे उल्लिखित संपत्तियों को वेबसाइट : https://www.bankeauctions.com के माध्यम से "ऑन लाइन ई-नीलामी" द्वारा बेचा जाएगा, ताकि पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर द्वारा जारी ओ.ए. संख्या 189/2016 में वसूली प्रमाण पत्र के संबंध में आपके/उनके द्वारा देय 98,33,876.50 रुपये (रुपये अठानवे लाख तैंतीस हजार आठ सौ छिहत्तर और पचास पैसे मात्र) की राशि की वसूली की जा सके, जिस पर 21-03-2016 से साधारण ब्याज सहित 12.00% प्रति वर्ष की दर से ब्याज और वसूली तक वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार देय लागतें शामिल हैं।
ई-नीलामी की तिथि और समय : 08-01-2025 12.00 बजे से 13.00 बजे के बीच

बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियों का विवरण
वाणिज्यिक दुकान, प्रकोष्ठ क्रमांक एलजी-1-2-3-4-5-6-7-8-9, स्वामी प्रीतमदास मार्केट का निचला तल, प्लॉट क्रमांक-12, जेल रोड, सुतार गली, गली क्रमांक 1, इंदौर (म.प्र.) क्षेत्रफल 566.33 वर्ग फीट; श्री तरुण लाहोटी पुत्र श्री रमेश चंद्र लाहोटी का है।
अंडर प्राइस : रु.60,00,000.00 (केवल साठ लाख रुपये);

बिक्री की शर्तें :
1. इच्छुक बोलीदाताओं के पास वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए मेसर्स सी-1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वेबसाइट :https://www.bankeauctions.com हेल्पलाइन नंबर 01244302020/21/22/23124 पर संपर्क करें, ई-नीलामी में बोली लगाने वाले की मदद के लिए श्री मिथलेश कुमार से मोबाइल नंबर 7080804466; ई-मेल आईडी :- mpcg@c1india.com या ई-मेल आईडी : support@bankeauctions.com पर संपर्क करें।
2. इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली जमा करने से पहले नीलामी बोली फॉर्म और विवरण, बिक्री के नियम और शर्तों के लिए वेबसाइट :https://www.bankeauctions.com देखें।
3. बोलियां केवल निर्धारित फॉर्म में ऑनलाइन जमा की जानी चाहिए और साथ ही बोली फॉर्म के साथ पहचान दस्तावेज की एक प्रति संलग्न करनी चाहिए (विस्तृत नियम और शर्तें देखें)। बोलीदाता को संसाधनों (सरकारी कार्यालय) द्वारा शुद्धता, माप, भार आदि के संबंध में स्वयं संतुष्ट होना चाहिए, बाद में डीआरटी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
4. अपसेट मूल्य का 10% यानी ईएमडी / बोली मूल्य रु. 6,00,000.00 (केवल छह लाख रुपये); ईएमडी के लिए आरटीजीएस / एनईएफटी / मनी ट्रांसफर के माध्यम से खाता संख्या 5692799461 में रिकवरी अधिकारी, ई-नीलामी खाता, डीआरटी जबलपुर के नाम से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, धोबीघाट शाखा, जबलपुर में जमा किया जाना चाहिए। (आईएफएससी कोड : सीबीआईएनओ 281618) और बोली फॉर्म में प्रेषण का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।
5. बोलियां 06-01-2025 को 17.00 बजे या उससे पहले ऑनलाइन जमा की जानी चाहिए।
6. ऑनलाइन प्रस्तुत बोली प्रपत्र की एक प्रति उसके संलग्नक सहित वसूली अधिकारी, डीआरटी, जबलपुर, 797-II शांतिकुंज, साउथ सिविल लाइंस, जबलपुर को इस प्रकार भेजी जानी चाहिए कि वह यथाशीघ्र पहुंच जाए।
7. ऑनलाइन बोली बोलियों में से उच्चतम बोली से शुरू होगी तथा प्रत्येक बोली के लिए न्यूनतम वृद्धि 60,000.00 रुपये (केवल साठ हजार रुपये) होगी। नीलामी विंडो बंद होने से पहले प्राप्त बोली के मामले में, सिस्टम द्वारा नीलामी समय में 5 मिनट का स्वत: विस्तार किया जाएगा।
8. असफल बोलीदाताओं की ईएमडी की वापसी उसी खाते में भेजी जाएगी, जिससे भुगतान किया गया है तथा इस संबंध में कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। इच्छुक बोलीदाता द्वारा ईएमडी जमा करने के पश्चात वे तब तक ईएमडी राशि वापस नहीं ले सकते, जब तक कि उन्हें "असफल बोलीदाता" घोषित नहीं कर दिया जाता, अन्यथा राशि जब्त कर ली जाएगी।
9. नीचे दी गई अनुसूची में सूचीबद्ध अचल संपत्ति के मामले में, यदि बिक्री उसके पक्ष में होती है, तो सफल बोलीदाता को घोषणा के अगले दिन बोली राशि (ईएमडी को छोड़कर) का 25% आरटीजीएस/एनईएफटी/मनी ट्रांसफर के माध्यम से एसएल. संख्या 4 में उल्लिखित खाता संख्या 5692799461 में जमा करना होगा और ऐसी जमा राशि न जमा करने की स्थिति में, संपत्ति को तुरंत फिर से रखा जाएगा और फिर से बेचा जाएगा और ईएमडी के रूप में जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी।
10. सफल बोलीदाता को बिक्री राशि का शेष 75% बिक्री राशि के 1% के पाउंडेज के साथ और प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग से 10 रुपये के साथ नीलामी के 15 दिनों के भीतर आरटीजीएसएनईएफटी/मनी ट्रांसफर के माध्यम से एसएल. संख्या 4 में उल्लिखित खाता संख्या 5692799461 में जमा करना होगा, उस दिन को छोड़कर, या यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश हो, तो 15वें दिन के बाद पहले कार्यालय कार्य दिवस पर। उपर्युक्त अवधि के भीतर भुगतान न करने पर, बिक्री की नई घोषणा जारी होने के बाद संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा। जमा राशि सरकार को जब्त कर ली जाएगी और चूककर्ता खरीदार संपत्ति या उस राशि के किसी भी हिस्से के सभी दावों को खो देगा जिसके लिए इसे बाद में बेचा जा सकता है।
11. संपत्ति "जैसी है जहाँ है और कोई शिकायत नहीं" के आधार पर बेची जाएगी।
12. संपत्तियों का निरीक्षण 30-12-2024 को 12.00 बजे से 16.00 बजे के बीच किया जा सकता है।
13. संपत्ति को अपसेट मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा।
14. वसूली अधिकारी को बिना कोई कारण बताए बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री को स्थगित / रद्द करने का पूर्ण अधिकार है।
15. इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे श्री अशोक मोटवानी, मुख्य प्रबंधक, मोबाइल के पास उपलब्ध शीर्षक विलेख की प्रतियों का अवलोकन करें। नंबर 9873737351 पर संपर्क करें और अपने स्वयं के स्रोतों से भी संपत्ति के विवरण और भार आदि की पहचान और शुद्धता की जांच करें। शुद्धता आदि के लिए डीआरटी जिम्मेदार नहीं होगा।
16. ई-नीलामी से संबंधित विवरण मेसर्स सी-1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट: https://www.bankeauctions.com हेल्पलाइन नंबर 0124-4302020/21/22/23/24 से प्राप्त किए जा सकते हैं, ई-नीलामी में बोली लगाने वालों की मदद के लिए श्री मिथलेश कुमार से मोबाइल नंबर 7080804466; ईमेल आईडी mpcg@c1india.com या ईमेल आईडी: support@banleauctions.com पर संपर्क करें।
17. किसी भी आवश्यक संपत्ति का विवरण श्री अशोक मोटवानी, मुख्य प्रबंधक, मोबाइल से प्राप्त किया जा सकता है। नं. 98737373751.
18. बोलीदाता अपनी पसंद के कार्यालय/स्थान से बोली लगाकर ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। प्रत्येक बोलीदाता को स्वयं ही इंटरेस्ट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करनी होगी। इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्या, सिस्टम क्रैश डाउन, बिजली विफलता आदि के लिए डीआरटी/बैंक/सेवा प्रदाता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

स्थान : जबलपुर
दिनांक : 25.11.2024
प्राधिकृत अधिकारी,
कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

जनसुनवाई में परदेशीपुरा थाने के एसीपी की शिकायत की गई

पुलिस आयुक्त ने अलग से बयान लेने के दिए निर्देश

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9926064287

पुलिस की जनसुनवाई में एमआईजी थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता ने परदेशीपुरा थाने के एसीपी की शिकायत की। इस पर पुलिस आयुक्त संतोष सिंह ने पीड़िता के अलग से बयान लेने के निर्देश दिए। मंगलवार को जनसुनवाई में पुलिस आयुक्त ने हर पीड़ित के पास जाकर उनके आवेदन लिए और गंभीरता से सभी की बात सुनी। उन्होंने शिकायतें सुनकर संबंधित अधिकारियों को जांच करने के आदेश दिए। इसी दौरान दुष्कर्म से पीड़ित युवती ने एसीपी शिवेन्द्र जोशी की कार्यशैली और सुनवाई नहीं करने की बात पुलिस आयुक्त से की। पीड़िता ने बताया कि एसीपी ने रिपोर्ट लिखने में भेदभाव किया। मेरे बयान को गलत लिखा, जिसका फायदा आरोपियों को मिला।

फर्जी दस्तावेज से कराई रजिस्ट्री : पीड़ित खालीकुर रहमान निवासी जूना रिसाला ने बताया कि उसने खजराना क्षेत्र में वर्ष-2008 में प्रॉपर्टी खरीदी थी। इस प्रॉपर्टी पर सांवेर के रहने वाले नन्हे पहलवान, डॉक्टर शेर अली और वाहिद नामक युवक ने कब्जा कर लिया है। कब्जे की सम्पत्ति के कूटरचित दस्तावेज से उसकी फर्जी रजिस्ट्री कराई थी। दो साल से खजराना थाने में शिकायत कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ध्यान नहीं दे रही है।

दामाद ने हड़प ली सम्पत्ति

पीड़िता शेरबानो पति स्व. मुस्तुफा खान निवासी मोती तबेला ने बताया कि उसके पति का कुछ माह पहले इंतकाल हो गया था। इसके बाद मेरा दामाद खालीकुर रहमान परिवार सहित रहने आ गया। एक दिन मुझसे धोखे में मकान के कागजात हासिल कर उन पर हस्ताक्षर करा लिए। इसके बाद मकान की रजिस्ट्री करा ली। मेरे पति के पास 6 ऑटो रिक्शा थे। दामाद ने उक्त रिक्शे और मेरे घर का सामान भी हथिया लिया।

तीन साल बाद चूड़ी वाला दोषमुक्त कोर्ट में रखा गया था मजबूत पक्ष

इंदौर। कोरोना संक्रमण के दौरान चूड़ी बेचने वाले युवक पर छेड़छाड़ का आरोप लगा था। मामले में कोर्ट ने युवक तस्लीम को दोषमुक्त कर दिया है। पूरा मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र में 22 अगस्त, 2021 को दर्ज हुआ था। पुलिस के मुताबिक... आरोपी तस्लीम पिता मोहर अली निवासी यूपी फेरी लगाकर चूड़ी बेच रहा था। जब वह बाणगंगा पहुंचा तो महिलाओं ने उस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। इसके बाद हिंदूवादी लोगों ने उसका आधार कार्ड मांगा। आधार कार्ड में पिता का नाम मोहरसिंह दर्ज था। तब तैस में आकर युवक से मारपीट की थी, वहीं छेड़छाड़ का केस भी थाने में दर्ज करा दिया था। घटना के बाद आरोपी पर कड़ी कार्रवाई करने हिंदूवादी नेताओं ने थाने का घेराव किया था।

एनआरआई पर एफआईआर... डीजीपी से मिलने पहुंचा

इंदौर। चॉकलेट कारोबारी संजय जैसवानी के खिलाफ केस दर्ज कराने धरने पर बैठे एनआरआई गौरव अहलावत पर लसूड़िया पुलिस ने केस दर्ज किया है। केस दर्ज होने के बाद वह सुरक्षा मुहैया कराने डीजीपी से मिलने पहुंच गया। कारोबारी पर केस दर्ज कराने वह एक सप्ताह से गांधी प्रतिमा के नीचे अनशन पर बैठा है। उसके खिलाफ कारोबारी कंपनी के कर्मचारी करतार सिंह ने शिकायत दर्ज कराई है। गौरव पर आरोप है कि उसने लाभ के लिए षड्यंत्र के तहत उस कंपनी से अपनी मां के खाते में 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर लिए थे, जिससे उसका कोई लेना-देना नहीं था। उल्लेखनीय है कि करीब एक माह पहले कारोबारी ने सीए निशित नाहर से मारपीट की थी। नाहर की शिकायत पर लसूड़िया पुलिस ने केस दर्ज किया था।

कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)
क्रमांक/608का.से./2024 इन्दौर, दिनांक : 03/12/2024
-: विज्ञप्ति :-
मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) और उसके अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के अधीन एतद् द्वारा ग्राम-बाल्याखेड़ा, तहसील-कनाडिया, जिला-इंदौर में आवासीय भूखण्डीय विकास प्रयोजन हेतु कालोनी विकसित करने की अनुज्ञा दी जाती है :-

अ. क्र.	कॉलोनाईज़र का नाम व पता	स्थान जहाँ के लिए विकास अनुमति जारी की गई है	धरोहर के रूप में बंधक रखे गए भूखंडों का विवरण
1	2	3	4
1	आवेदक 1. मेसर्स नेमीनाथ हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड तर्फे श्री प्रयंक जैन पिता श्री रमेशचंद्र जैन 2. मेसर्स एन आर इन्फ्राबिल्ट प्राइवेट लिमिटेड तर्फे श्री प्रयंक जैन पिता श्री रमेशचंद्र जैन तर्फे विकासकर्ता मेसर्स नेमीनाथ हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड तर्फे श्री प्रयंक जैन पिता श्री रमेशचंद्र जैन पता:-176, स्कीम नंबर 114, इन्दौर (म.प्र.) कालोनी का नाम "THE GRAND VIRASAT-B"	ग्राम - बाल्याखेड़ा, तहसील कनाडिया जिला- इंदौर स्थित भूमि सर्वे नं. 103/4 रकबा 0.510 हे., सर्वे नं. 103/7 रकबा 0.453 हे., सर्वे नं. 108/2 रकबा 0.886 हे., सर्वे नं. 108/3 रकबा 0.890 हे., सर्वे नं. 109/1 रकबा 1.518 हे., सर्वे नं. 109/2 रकबा 0.295 हे., सर्वे नं. 110/1/1/2 रकबा 0.352 हे., सर्वे नं. 110/1/1/3 रकबा 0.352 हे., सर्वे नं. 110/1/1/4 रकबा 0.352 हे., सर्वे नं. 110/1/2 रकबा 0.505 हे., सर्वे नं. 110/3/1 रकबा 0.723 हे., सर्वे नं. 110/3/2 रकबा 0.825 हे., सर्वे नं. 110/3/3 रकबा 0.505 हे., सर्वे नं. 110/3/4 रकबा 0.162 हे., सर्वे नं. 111/1/1 रकबा 0.809 हे., सर्वे नं. 111/1/2 रकबा 0.202 हे., सर्वे नं. 111/2/1 रकबा 0.810 हे., सर्वे नं. 114/1 रकबा 1.264 हे., सर्वे नं. 14/2+115/1/1 रकबा 0.454 हे., सर्वे नं. 115/2/2 रकबा 0.121 हे., सर्वे नं. 116/2 रकबा 0.814 हे., सर्वे नं. 117/1/3 रकबा 0.077 हे., सर्वे नं. 117/3/1 रकबा 0.405 हे., सर्वे नं. 255/1/2 रकबा 1.011 हे., सर्वे नं. 255/1/5 रकबा 0.759 हे., सर्वे नं. 255/2/2 रकबा0.265 हे., सर्वे नं. 256/2 रकबा 0.274 हे., सर्वे नं. 257/1/2 रकबा 0.959 हे., सर्वे नं. 257/2/2 रकबा 0.696 हे., सर्वे नं. 103/5 रकबा 0.454 हे., सर्वे नं. 103/6 रकबा 0.453 हे., सर्वे नं. 111/2/2 रकबा 0.579 हे. कुल किता 33 कुल रकबा 18.734 हे. भूमि पर।	बंधकनामा पंजीकरण क्रमांक MP179142024A11058012 इंदौर दिनांक 23.08.2024 से भूखण्ड क्रमांक बी-01 से लगायत बी-03, बी-05, बी-11 बी-13, बी-14, बी-16 से लगायत बी-18, बी-20 से लगायत बी-25, बी-30, बी-31, बी-39 से लगायत बी-41, बी-49 से लगायत बी-51, बी-65, बी-66, बी-79, बी-81, बी-83, बी-101, से लगायत बी-107, बी-115, बी-123- से लगायत बी-126, बी-138 से लागयत बी-156, बी-159 से लगायत बी-161, बी-167, बी-182, बी-190, बी-191, बी-195, बी-198, बी 199,बी-203 से लगायत बी-205, बी-214, बी-218, बी-221, बी-222, बी-224, बीएस-01 से लगायत बीएस-09, इस प्रकार कुल 87 भूखण्ड है जिनका संयुक्त क्षेत्रफल 38458 वर्गमीटर भूमि बंधक रखे गये है।

उपरोक्त कालम नंबर-4 में उल्लेखित 87 भूखंड इस कार्यालय में धरोहर के रूप में बंधक रखे गये है अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूखंडो का क्रय, विक्रय आगामी आदेश तक नही किया जावेगा। **(सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित)**
अपर कलेक्टर, जिला इंदौर

कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)
क्रमांक/612/अ.क.री./का.से./2024 इन्दौर, दिनांक : 03/12/2024
विज्ञप्ति
मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) और उसके अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के अधीन एतद् द्वारा ग्राम-सोनवाय, तहसील-राऊ जिला-इंदौर में आवासीय भूखण्डीय विकास प्रयोजन हेतु कालोनी विकसित करने की अनुज्ञा दी जाती है :-

अ. क्र.	कॉलोनाईज़र का नाम व पता	स्थान जहाँ के लिए विकास अनुमति जारी की गई है	धरोहर के रूप में बंधक रखे गए भूखंडों का विवरण
1	2	3	4
1	भूमिस्वामी श्री रामचंद्र पिता श्री भेरूलाल पाटीदार, श्री योगेश पिता श्री रामचंद्र पाटीदार, श्री मुकेश पिता श्री रामचंद्र पाटीदार तर्फे विकासकर्ता मेसर्स सार्थक विनायक रियल बिल्ट तर्फे भागीदार श्री राधेश्याम गुप्ता पिता श्री मदनलाल गुप्ता पता:-307, द मार्क, 19/2, ओल्ड पलासिया, इन्दौर (म.प्र.) कालोनी का नाम "SINGAPUR MID WAY CITY II"	ग्राम-सोनवाय तहसील-राऊ जिला- इंदौर स्थित भूमि खसरा नंबर 248/3 रकबा 0.200 हे., 263/2 रकबा 0.105 हे., 270/1/3 रकबा 0.225 हे., 275/1/1 रकबा 0.389 हे., 246/2 रकबा 0.253 हे., 264/3/1 रकबा 0.108 हे., 266/1 रकबा 0.194 है., 267/1 रकबा 0.182 हे., 265/2/2 रकबा 0.040 हे., 264/2/2 रकबा 0. 097 हे., 264/2/1 रकबा 0.085 हे., 265/2/1 रकबा 0.255 हे., 266/5 रकबा 0.121 हे., 264/7 रकबा 0.080 हे., 247/1/1 रकबा 0.189 हे., 247/1/2 रकबा 0.063 हे., 261/1 रकबा 0.039 हे., 262/1 रकबा 0.105 हे., 263/1 रकबा 0.106 हे., 264/4/2 रकबा 0.045 हे., 264/6 रकबा 0.129 हे., 343/3 रकबा 0.674 हे., 344/3 रकबा 0.092 हे., 350/1 रकबा 0.500 हे., 344/1 रकबा 0.096 हे., 344/2 रकबा 0.092 हे., 345 रकबा 0.255 हे., 346/3 रकबा 0.020 हे., 264/10 रकबा 0.024 हे., 264/9 रकबा 0.023 हे., 267/3 रकबा 0.219 हे., 268/3 रकबा 0.020 हे., 343/1 रकबा 0.832 हे., 351 रकबा 0.097 हे., 264/4/1 रकबा 0.044 हे., 245/2 रकबा 0.253 हे., 264/3/3 रकबा 0.108 हे., 352/1 रकबा 0.292 हे., 263/4 रकबा 0.105 हे., 264/3/2 रकबा 0.108 हे., 269 रकबा 0.356 हे., 268/4 रकबा 0.206 हे., 245/1 रकबा 0.070 हे., 246/3 रकबा 0.183 हे., 244/3/1 रकबा 0.320 हे., 264/5 रकबा 0.129 हे., 267/2 रकबा 0.210 हे., 268/2/1 रकबा 0.006 हे., 264/11 रकबा 0.023 हे., 244/2 रकबा 0.725 हे., 266/3 रकबा 0.121 हे., 263/3 रकबा 0.105 हे. कुल रकबा 9.318 हेक्टेयर भूमि पर	बंधकनामा पंजीयन क्रमांक एमपी 179092023ए12294846 दिनांक 26.08.2023 एवं संशोधित बंधकनामा पंजीकरण क्रमांक एमपी 179092024ए1953842 दिनांक 25.07.2024 एवं संशोधित बंधकनामा पंजीकरण क्रमांक एमपी 179092024ए11251650 दिनांक 21.10.2024 से भूखण्ड क्रमांक 4 से 8, 33, 45 से 57 तक, 109, 132, 194, 201, 202, 204 से 223 तक, 242 से 245 तक, 249, 250, 274 से 289 तक, 314, 353, 377 से 380 तक, 401, 402, 404 से 406 तक, 411, 412, 414 से 417 तक, 423, 424, 436, 439 से 449 तक, 457 से 459 तक, 482, 484 से 494 तक, 500 से 512 तक 514 से 544 तक, इस प्रकार कुल 156 भूखण्ड, जिनका कुल क्षेत्रफल 13128 वर्गमीटर भूमि है।

उपरोक्त कालम नंबर-4 में उल्लेखित 156 भूखंड इस कार्यालय में धरोहर के रूप में बंधक रखे गये है अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूखंडो का क्रय, विक्रय आगामी आदेश तक नही किया जावेगा। **(सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत)**
अपर कलेक्टर, जिला इंदौर